# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**अपील संख्या : 13/262**

1. सीताराम
2. बृजेश पिसरान श्री माधोलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम अन्थडा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. देवकरण आत्मज श्री गोपाल लाल जाति धाकड निवासी जैथल ।
2. श्रीमती जानकी पत्नी श्री सूरजमल जाति धाकड निवासी दीगोद जिला कोटा ।
3. श्रीमती किशन कंवर पत्नी श्री बंशीलाल जाति धाकड निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री बालचन्द जाति धाकड निवासी अन्थडा तहसील व जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुक्त तहसीलदार साहब के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश कुमार भूत्या, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मदन लाल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक: 07.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक जिलाधीश, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1313 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 954, 955 मिन राजस्व रिकॉर्ड में श्री माधो आत्मज श्री जीवन जाति धाकड के खाते में दर्ज है । खातेदार माधो द्वारा उक्त भूमि दिनांक 07.09.1960 को 2577/– रूपये में वादी को विक्रय करके कब्जा संभला दिया था । तब से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में माधो द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 177/1977 दिनांक 03.04.1978 को निरस्त हो जाने

के कारण इस भूमि का वैधानिक खातेदार बन गया है । राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार एवं उसके उत्तराधिकारियों का इस भूमि पर स्वत्व सदैव के लिए समाप्त हो गया है ।

3. अतः वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार के स्थान पर अंकित किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपंजीकृत विक्रय पत्र जो साक्ष्य में कानूनन अपठनीय होता है पर विश्वास करते हुए निर्णय वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में कर दिया जबकि अपंजीकृत विक्रय पत्र एक्जीविट भी नहीं हो सकता । वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो उसका दावा दायरी से पूर्व एडवर्स पजेशन के आधार पर कब्जा बता सके । सन् 1976 में वादी के पिता का दावा करने पर तथा सन् 1984 में आठ साल का कब्जा के आधार पर कब्जा मुखालफाना साबित नहीं होता है । खसरा गिरदावरी, लगान पिलाई की रसीदें भी 12 वर्ष की पेश नही की गई हैं । कब्जा मुखालफाना साबित नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 01 वादी के पक्ष में तय की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.07.2013 को हल्का पटवारी से खाते की नकल मांगने पर तथा हल्का पटवारी द्वारा यह बताये जाने पर कि तुम्हारे पिता जी की जमीन को देवकरण के खाते दर्ज कर दिया गया है पर हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने शेष रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्ट के विरूद्ध अधिकार घोषणा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था । इस दावे में अपीलान्ट को नाबालिग बताया है । दावे को वादी की साक्ष्य लेकर डिक्री कर दिया जो विधि – विरूद्ध है । अपंजीकृत विक्रय पत्र जो साक्ष्य में कानूनन अपठनीय होता है पर विश्वास करते हुए निर्णय वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में कर दिया है जबकि अपंजीकृत विक्रय पत्र न तो प्रदर्शित हो सकता है और न ही उससे अधिकार तय हो सकते हैं । तनकीयात की विवेचना विधि–

विरूद्ध रूप से की गई है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा पेश किया गया है जबकि उनका कब्जा सिर्फ 08 साल का था जिसको कब्जा मुखालफाना का अधिकार नहीं माना जा सकता, प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं हुआ है फिर भी निर्णय पारित किया है । नाबालिगान के विरूद्ध दावा पेश किया गया था जिसमें अपीलान्ट की उम्र सन् 1984 में 15 वर्ष बताई गई है । 03 वर्ष बाद वह बालिग हो चुका था कानूनन तामील दोबारा की जानी चाहिए जो नहीं की गई है। अपीलान्ट ने उक्त अपील विलम्ब से पेश की है जिसके साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेा किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि –विरूद्ध है और ऐसा निर्णय जो विधि–विरूद्ध होता है उसके लिए मियाद का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता है । यदि न्यायालय के द्वारा नियुक्त वली उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय को किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त करना चाहिए जो नहीं किया गया है उक्त निर्णय अवैध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1987 पेज 1353, एआईआर 1998 (एससी) पेज 3222, आरआरडी 1998 पेज 319, डीएनजे 1998 (एससी) पेज 4561, एआईआर 1985 पेज 1400 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में सबसे पहले धारा 05 मियार अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित कियका जाना आवश्यक है उसके उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सन् 1988 का है जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने अपील 25 वर्ष बाद पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के अभिभाषक उपस्थित हुए हैं । अपीलान्टगण की माता उनकी संरक्षक थी बाद में न्यायालय के द्वारा अभिभाषक दिनेश पारीक को नियुक्त किया गया था उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है वो बहस के दौरान उपस्थित रहे हैं । अपीलान्ट सीताराम सन् 1984 में 15 वर्ष के थे अब उनकी उम्र 43 की हो गई है तथा बालिग होने के उपरान्त भी उन्होंने इतने समय तक कोई कार्यवाही नहीं की उनके द्वारा दिनांक 15.07.2013 को नकल प्राप्त की गई है और दिनांक 23.08.2013 को अपील पेश की गई है । इस विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है जबकि विलम्ब के प्रति दिन का कारण स्पष्ट करना अनिवार्य होता है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2012 पेज 807, आरआरडी 2007 पेज 300, 311, आईएलआर 1964 पेज 990, आरआरडी 1994 पेज 697 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 के खिलाफ अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 23.08.2013 को अपील पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्टगण का यह कथन है कि वो दावा दायरी के समय नाबालिग थे और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो उनके वली नियुक्त किये गये थे वो भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्टगण के विधि–विरूद्ध है ।

11. दावा सन् 1984 में पेश किया गया है उस समय अपीलान्ट सीताराम की आयु 15 वर्ष और बृजेश की आयु 13 वर्ष बताई गई है । निर्णय सन् 1988 में पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण बालिग हो जाने के उपरान्त 03 वर्ष के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को चैलेंज कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया है और लगभग 25 वर्ष बाद यह अपील पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार माधो ने जो कि अपीलान्ट के पिता हैं कि द्वारा एक दावा बेदखली का गोपाल के खिलाफ पेश किया था यह दावा दिनाक 03.04.1978 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है । इससे यह भी प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी अपीलान्ट का नहीं है और कब्जा प्राप्त करने की इनकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है वो आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के अनुसार नया बेदखली का दावा पेश नहीं कर सकते हैं ।

12. इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण के अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके हैं । अपील 25 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब का शमन करने के लिए जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसमें दिनांक 09.07.2013 को पटवारी हल्का से जानकारी होने पर अपील पेश करना लिखा गया है जबकि पूर्व में किये गये विवेचन के अनुसार सन् 1988 को जब निर्णय पारित हुआ है उस समय सीताराम की आयु 19 वर्ष और बृजेश की आयु 17 वर्ष रही होगी । इतने लम्बे समय तक उनके द्वारा न तो जमाबन्दी की नकल अथवा खसरा गिरदावरी की नकल प्राप्त की गई, कुछ तार्किक प्रतीत नहीं होता है । पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 03.04.1978 के अनुसार अपीलान्ट के पिता का बेदखली का दावा भी खारिज हो चुका है ।

13. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से एवं विलम्बित अवधि क्षम्य किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/6/19

(भागवंती जैठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

# अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या : 13/262**

1. सीताराम
2. बृजेश पिसरान श्री माधोलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम अन्थडा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

**बनाम**

1. देवकरण आत्मज श्री गोपाल लाल जाति धाकड निवासी जैथल ।
2. श्रीमती जानकी पत्नी श्री सूरजमल जाति धाकड निवासी दीगोद जिला कोटा ।
3. श्रीमती किशन कंवर पत्नी श्री बंशीलाल जाति धाकड निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री बालचन्द जाति धाकड निवासी अन्थडा तहसील व जिला बून्दी
5. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुक्त तहसीलदार साहब के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।**

**वाद संख्याः 112/दावा/85**

देवकरण आयु 35 साल आत्मज श्री गोपाल लाल जाति धाकड निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——वादी

**बनाम**

1. सीताराम आयु 15 वर्ष ।
2. बृजेश आयु 13 वर्ष पिसरान श्री माधोलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम अन्थडा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
3. श्रीमती जानकी पत्नी श्री सूरजमल जाति धाकड निवासी दीगोद जिला कोटा ।
4. श्रीमती किशन कंवर पत्नी श्री बंशीलाल जाति धाकड निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री बालचन्द जाति धाकड निवासी अन्थडा तहसील व जिला बून्दी
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुक्त तहसीलदार साहब के0 पाटन जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

# अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 07.06.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश कुमार भूत्या एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री मदन लाल जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.1988 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 07.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

**मुहर**

7/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा